# न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
## (बइजलास प्रहलाद सहाय नागा, आर.ए.एस.)

**परिवादी**

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

**प्रतिवादी / अभियुक्त**

जगदीश कुमार लोहार पुत्र श्री भंवरलाल लोहार, उम्र 31 वर्ष, जाति- लोहार, निवासी- सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही

(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- काम्बेश्वर नमकीन भंडार, सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 29/2016

''अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) एवं धारा- 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 ''

-: निर्णय :- दिनांक 03 अक्टूम्बर, 2016

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। परिवादी श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2015 को समय 5.00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स काम्बेश्वर नमकीन भंडार, सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर पँहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को परिचय दिया व परिचय लिया तो वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से जगदीश कुमार लोहर पुत्र श्री भंवरलाल लोहार, उम्र 31 वर्ष, निवासी- सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिला जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) में नमकीन बनाता है एवं नमकीन का विक्रय करता है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ नमकीन के निर्माण में काम आने वाले Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की। दुकान में नमकीन बनाने हेतु काम में लेने के लिये 10x15 किलोग्राम Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) के सील्ड टिन पैक मौजूद थे उसमें एक सील्ड टिन पैक को दाये बाये उपर नीचे अच्छी तरह हिला मिला कर एक रुप किया एवं इस एक रुप किये हुए सील्ड टिन पैक को खोल कर 1600 ग्राम Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) को एक साफ सूखे एवं खाली स्टील के भिगोने में खरीदा एवं कीमत 96/- रुपये अदा किये एवं खरीद रसीद तैयार की व फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं परिवादी ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य

.....पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) की सप्लाई/प्राप्ति संबंधी बिल के बारे में जानकारी चाही तो खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश कुमार लोहार ने बताया कि मेरे पास इस खाद्य पदार्थ Refined Soyabean Oil (Vibhor Brand) का बिल नही है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को चार कांच की साफ सुखी एवं खाली शीशीयां दिखाई तथा खरीदशुदा Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) को बराबर बराबर चारों शीशीयों में भरकर कार्क से एयरटाईट बन्द किया। मौके पर लेबल तैयार कर उन पर कोड एवं सीरीयल नंम्बर, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना शीशी पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-464 को नियमानुसार नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं परिवादी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश कुमार ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने की सील लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांध, नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। दिनांक 20.10.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा श्री नवलसिंह, वार्ड बाय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 20.10.2015 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा परिवादी स्वयं ने अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश कुमार लोहार से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) नमूना संख्या S-464 अमानक स्तर (Sub-standard) का पाया गया है। अभियुक्त जगदीश कुमार ने अमानक स्तर (Sub-standard) के खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

........पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(2) प्रस्तुत रिवाद पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त जगदीश कुमार लोहार को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर अभियुक्त जगदीश कुमार ने इस न्यायालय में दिनांक 21.9.2016 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 16.10.2015 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने जिस Palmolein Oil (Vibhor Brand) का नमूना जांच हेतु लिया था उसका बिल मेरे पास मौजूद नही था एवं आज भी मौजूद नही है। मैंनें कम्पनी पैक टीन में से नमूना दिया था, इसलिये मुझे इस मुकदमें से मुक्त किया जावे।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 03.10.2016 को अभियुक्त उपस्थित नही हुआ, किन्तु प्रकरण में उक्तानुसार अभियुक्त जगदीश कुमार द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2015 को समय 5.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म काम्बेश्वर नमकीन भंडार, सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म/दुकान में खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से जगदीश कुमार लोहर पुत्र श्री भंवरलाल लोहार, जाति- लोहर, उम्र 31 वर्ष, निवासी- सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही उपस्थित मिले जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) में नमकीन बनाता है एवं नमकीन का विक्रय करता है। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ नमकीन के निर्माण में उपयोग में लिये जाने वाले Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री कमलेश कुमार पुत्र जवानमल जी, जाति- माली, नेहरु नगर गली नम्बर 4, शिवगंज, जिला- सिरोही के समक्ष अभियुक्त जगदीश कुमार को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त दुकान में नमकीन बनाने हेतु उपयोग में लिये जाने वाले खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) के 10 सील्ड टिन पैक (प्रत्येक 15 किलोग्राम) मौजूद थे उसमें एक सील्ड टिन पैक को खोलकर 1600 ग्राम Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) को एक साफ सूखे एवं खाली स्टील के भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत 96/- (अक्षरे रुपये छियानवे मात्र) विक्रेता/अभियुक्त जगदीश कुमार को अदा किये व क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद व बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों एवं परिवादी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) को चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में हिला मिलाकर बराबर बराबर भरा तथा शीशीयों को कार्क

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

से एयरटाईट बन्द किया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता विकेता, गवाहों व परिवादी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-464 को नीचे से उपर तक गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूनें को धागे से बांध कर सील चपडी किया और प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाह के हस्ताक्षर कराये और परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विकेता, उक्त गवाहान एवं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। परिवादी द्वारा परिवाद के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अभियुक्त जगदीश कुमार से खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) के चारों नमूना भागों को लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6की एक एक प्रति लगाकर नमूने चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20.10.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री नवलसिंह, वार्ड बाय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, परिवादी स्वयं द्वारा नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 20.10.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) नमूना संख्या S-464 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक: L.S./799/Act/2015/798 दिनांक 28.10.2015 के अनुसार परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त जगदीश कुमार से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) का नमूना अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया है। अभियुक्त ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान उक्त खाद्य

....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) के कय का बिल प्रस्तुत नही किया तथा न ही इस न्यायालय में उक्त खाद्य पदार्थ के कय का बिल प्रस्तुत किया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य प्रमाणित है कि अभियुक्त जगदीश कुमार ने अमानक स्तर (Sub-standard) के खाद्य पदार्थ Refined Palmolein Oil (Vibhor Brand) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अभियुक्त जगदीश कुमार पुत्र श्री भंवरलाल, मैसर्स कॉम्बेश्वर नमकीन भंडार, सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक/संस्था/एफ. एस.एस.ए./2015/6763-65 दिनांक 07.11.2015 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया है कि यदि इस रिपोर्ट से संतुष्ट न हो तो 30 दिवस के भीतर नमूना रेफरल लेब से जांच करवाने हेतु प्रार्थना पत्र भिजवाये, लेकिन प्रतिवादी अभियुक्त जगदीश कुमार ने उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने की रेफरल लेब से जांच करवाने हेतु आवेदन नही किया।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अभियुक्त जगदीश कुमार लोहार पुत्र श्री भंवरलाल लोहार, जाति- लोहार, निवासी- सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म काम्बेश्वर नमकीन भंडार, सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। अभियुक्त जगदीश कुमार लोहार पुत्र श्री भंवरलाल लोहार, जाति- लोहार, निवासी- सब्जीमंडी, शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्टीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(प्रहलाद सहाय नागा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही